

मुख्य अभियंता-6 दरभंगा का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग।

दिनांक- 26.6.2025

पत्रांक- 1137 /

प्रपत्रांक-

ई0 किशोर कुमार

मुख्य अभियंता-6

सेवा में

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, पुपरी।

विषय

श्री MMGSUY योजनावर्गगत कार्य प्रमण्डल, पुपरी के अतीत MMGSUY-RRSMP/24-25-Pupri/03 (Tender ID-139484) कार्य की निविदा की स्वीकृति के संबंध में।

समाधान,

विभागीय पत्रांक-मु0अ0(अ0उ0)4515-01-792/2025 पार्ट-1-2336 अनु0, दिनांक 18.06.2025 द्वारा ससूचित आदेश के अनुपालन में उपर्युक्त विषयक कार्य बिहार लोक निर्माण संहिता के कंडिका-163 के आलोक में इस कार्य को इसके संबंध सम्बन्ध निविदाकार Abhiraj Kumar (BID ID-610307) को उनके द्वारा निविदित दर, जो परिमाण विपत्र की दर से 0.03 (शून्य दशमलव शून्य तीन प्रतिशत) कम है, को स्वीकृत करते हुए सम्पूर्ण कार्य कुल 16,99,80,448/- (सोलह करोड़ निन्यानवे लाख अस्सी हजार चार सौ अड़तालीस) रुपये मात्र की लागत पर आपकी अनुमति एवं कार्यक्षेत्र में आवंटित किया जाता है।

2. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वाधार नहीं होगा।
3. CMBD के ससूचित कंडिकाओं के अनुरूप संवेदक से एकरारनामा हेतु Performance Security के रूप में E-BG प्राप्त किया जाय या विभागीय पत्रांक-मु0अ0(नि0 एवं मु0नि0) विविध कार्य-08-153/2024-1725, दिनांक 08.05.2025 में दिये गये निदेश के आलोक में बिहार राज्य अवस्थित Scheduled Commercial Banks से e-BG (Electronic Bank Guarantee) के स्थान पर System Generated BG with SFMS (Structured Financial Messaging Services) Number को मान्य करते हुए BG निर्गत करते समय BG के रात्यापन हेतु विभाग के Beneficiary Bank (भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड शाखा, पटना) का IFSC Code-SBIN0006379 एवं संबंधित कार्य प्रमण्डल के Email Id का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाय।
4. एकरारनामा के पूर्व निविदा सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा।
5. एकरारनामा से पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि निविदाकार डिबार सूची/काली सूची या कार्य लवित सूची में शामिल न हो।
6. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है, कार्य कराते समय अगर इसमें कमी पाई जाती है तो उसके दर में सापेक्ष कमी कर दी जायेगी।
7. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्त में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
8. अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक बिन्दु की जाँच अपने स्तर से स्वयं कर लेंगे एवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति में यस्तुस्थिति से तत्क्षण अद्योहरताधारी को अवगत करायेंगे। त्रुटि के सुधारोपरान्त एकरारनामा की कार्यवाई की जायेगी।
9. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जाँच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित करने कि इसमें कोई त्रुटि न हो।
10. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किये गये उपबंध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेंगे एवं प्रशस्तनिक स्वीकृति तथा प्रावैधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। पथ का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, प्रशासनिक स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, परक्रमित दर, Bid Capacity आदि का मिलान कर ही कार्य आवंटन आदेश निर्गत करेंगे। अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता कार्य आवंटन/LOA निर्गत करने से पूर्व मिलान कर लेंगे कि परिमाण विपत्र की राशि प्रशासनिक अनुमोदन की राशि के अनुज्ञेय सीमा के अन्दर है। यदि अनुज्ञेय सीमा से अधिक हो तो एकरारनामा के पूर्व पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।
11. कार्यारम्भ निर्गत करने से पहले संबंधित संवेदक से एकरारित अवधि के अन्दर कार्य समाप्त करने हेतु मासिक कार्य प्रोग्राम इस्ताधारित कराकर प्राप्त कर लेंगे जहाँ की एकरारनामा का भाग होगा।

Abhiraj Kumar 9913179528

पुपरी, तहसील 24-08, 0303

18.07.25
Executive Engineer
RWD, Works Division, Pupri

12. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विनिर्दिष्टों के अनुरूप निर्धारित मानकों के अन्तर्गत पूर्ण की जायेगी।
13. कार्य समन्वय की अग्रिम विधि का उपयोग शुरू करने के अनुरोध होगी।
14. इस कार्य का चयन और MMGSUY कोकनद्वारा से मिलने वाले सभी अवगत उपयुक्त राशि से विकसित होगा।
15. कार्य के प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महीने की सप्ताही तारीख तक निश्चित रूप से इस कार्यालय को समर्पित की जाये।
16. मान विधि का उपयोग एवं सुसंगतता के निदेशों को अवगत आने आवश्यक निर्देशों को अपने स्तर से निर्गत करेंगे।
17. एकरारनामा से पहले निविदाकर्ता द्वारा दिये गये कामकाज का सत्यापन उनके मूल कामकाज से मिलान कर लेंगे। कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण कार्य विभाग, कार्य प्रबंधक, पुर्नरी सुलनात्मक निगरानी की एक अभिप्रायित प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सीतामढी को अभिलेख हेतु उपलब्ध करा देंगे। निर्देश दिया जाता है कि संबंधित से कार्य प्रोत्साय प्राप्त कर लेंगे तब उनका कार्यक्षमता कुशलता एवं पूर्व से आवंटित कार्यों की प्रगति से संतुष्ट हो लें।
18. इस विधि की राशि में अगर कोई अंतर होता है तो इसकी सूचना पुरन्त इस कार्यालय को दी जाये।
19. कार्यपालक अभियंता, एकरारनामा करने के पूर्व संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या कार्यदेश में संकेत करने तथा इस कार्यालय को सूचित करेंगे।
20. परिमाण विपत्र की दर से कम दर उद्धृत करने वाले संवेदक से विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में अधिकृत कतिपय परस्परमंत सिद्धिरी की राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
21. किसी भी परिस्थिति में निजी जमीन पर नियमानुसार कार्यवाई किंगे बिना निर्माण कार्य नहीं कराया जाये।
22. प्रत्येक 15 दिनों पर संवेदक से स्वहस्ताक्षरित विपत्र प्राप्त कर रणल से मिलान कर मापी पुस्तिका में मापी दर्ज कर सुनिश्चित करेंगे।
23. एकरारनामा से पूर्व नियमानुसार Character Certificate and GST Clearance Certificate प्राप्त कर लेंगे। इसका प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे।
24. कार्य के समायोजन में JV के सभी भागीदार की भागीदारी निविदा में दिये गये JV Agreement के अनुरूप होनी चाहिए। यदि इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल हेतु सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त करेंगे।
25. निविदा में यंत्र-संयंत्र एवं अभियंताओं के संबंध में दिये गए शपथ के अनुसार एकरारनामा करने से पहले इनके कामकाज की जांच कर लेंगे। कार्य स्थल पर यंत्र-संयंत्र एवं अभियंता की तैनाती सुनिश्चित करायेंगे। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण के कम यदि यंत्र-संयंत्र एवं अभियंता की तैनाती में कमी पायी जायेगी तो नियमानुसार संवेदक पर कार्यवाई सुनिश्चित किया जायेगा।
26. कार्यपालक अभियंता कार्यवटन आदेश प्राप्त होते ही संवेदक को अविलंब LOA (Letter of Acceptance) निर्गत करेंगे एवं CMBD की ITB की कंडिका 33.2 में निहित प्रावधान के आलोक में 15 दिनों के अन्दर Performance Security प्राप्त करते हुए एकरारनामा की कार्यवाई सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर Performance Security जमा नहीं करने की स्थिति में ITB की कंडिका 34.2 के आलोक में कार्यवाई करते हुए अधीक्षण अभियंता के माध्यम से प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे। विशेष परिस्थिति में निर्धारित अवधि के पश्चात एकरारनामा करने हेतु Proper Justification के साथ प्रस्ताव उचित माध्यम से समर्पित करेंगे एवं अधोहस्ताक्षरी के अनुमति के उपरान्त ही एकरारनामा करेंगे।
27. विभागीय पत्रांक-नू0अ0(अ0उ0)4515-01-792/2025 पार्ट-I-2338 अनु0, दिनांक 18.06.2025 के आलोक में पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर Letter of Acceptance (LOA) संबंधित संवेदक को निर्गत करेंगे।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।

अनु0-यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन
मुख्य अभियंता-6

आपांक- 1137 /
प्रतिलिपि-

दिनांक- 24.6.20 /25

1. अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा, पटना को सूचनार्थ समर्पित।
2. अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ समर्पित।
3. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सीतामढी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
4. सहायक आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता के ई-मेल आई0टी0 पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18.07-25 मुख्य अभियंता-6

Executive Engineer
RWD, Works Division, Pupri